M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2022

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 06
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 06

First Question Paper
प्रथम प्रश्न–पत्र
CONSTITUTION, CIVIL LAW & PROCEDURE
संविधान, व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

समय – 03:00 घण्टे
Time – 03:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of any question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form or at any place of Answer Book that may be distinguished/ identified to the candidate from others, is strictly prohibited and shall in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका / अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निषान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of answers must be clear & legible. If the writing on Answer Book is not clear or illegible in view of Valuer(s) then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. What is "*obiter dicta*" ? Whether it is binding upon the courts ? — 5

   "इतरोक्ति" क्या है ? क्या यह न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं ?

2. Explain the "*doctrine of pleasure*" and its exceptions with the help of decisions of Supreme Court. — 5

   उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की सहायता से "प्रसाद के सिद्धांत" और इसके अपवादों को स्पष्ट कीजिए।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

3. Write differences between Cross Appeal and Cross Objection ? — 5

   प्रति अपील और प्रत्याक्षेप में अंतर लिखिए ?

4. Examine the aspects of Res Judicata in context with compromise decree with reference to the case of Jamia Masjid vs K.V. Rudrappa. — 5

   जामिया मस्जिद विरूद्ध के. वी. रूद्ररप्पा के मामले के संदर्भ में पूर्वन्याय के पहलुओं का परीक्षण समझौता आज्ञप्ति के परिपेक्ष्य में कीजिये।

5. When transposition of defendant as plaintiff may be permitted ? Explain. — 5

   प्रतिवादी का वादी के रूप में पक्षांतरण करने की अनुज्ञा कब दी जा सकेगी ? स्पष्ट कीजिए।

6. Whether decree for perpetual injunction can be executed — 5

against the legal representatives of the judgment debtor/ defendant ? If so, to what extent ?

क्या शाश्वत व्यादेश की डिक्री का निष्पादन निर्णीत ऋणी / प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध किया जा सकता है ? यदि ऐसा है तो किस सीमा तक ?

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

7. Elucidate the doctrine of *"lis pendence"* under the Transfer of Property Act ? 5

संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत "विचाराधीन वाद" के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए ?

8. Explain the conditions necessary for the application of the doctrine of part performance. Who can avail this doctrine ? 5

भागिक पालन के सिद्धांत को लागू करने के लिये आवश्यक दशाओं को स्पष्ट कीजिये। इस सिद्धांत को कौन उपयोग में ला सकता है ?

9. Define the following expressions- 5

(a) Sale

(b) Lease

(c) Gift

(d) Mortgage

(e) Actionable claim

निम्न पदों को परिभाषित कीजिए :–

(अ) विक्रय

(ब) पट्टा

(स) दान

(द) बंधक

(ई) अनुयोज्य दावे

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

10. Define Fraud and Misrepresentation ? 5

कपट एवं दुर्व्यपदेशन को परिभाषित कीजिए ?

11. How abandonment of contract is different from breach of contract ? Explain with illustrations ? 5

संविदा का परित्याग, संविदा के भंग से किस प्रकार भिन्न है ? दृष्टांतों सहित स्पष्ट कीजिए।

12. Explain the law relating to the "doctrine of the frustration", in view of law laid down by Supreme Court. Whether it includes legal impossibility? 5

''नैराश्यता के सिद्धांत'', संबंधी विधि को उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में स्पष्ट कीजिए। क्या यह विधिक असंभवता को सम्मिलित करती है?

HINDU MARRIAGE ACT, 1955 & HINDU SUCCESSION ACT, 1956
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

13. Whether a decree for divorce on the ground of mutual consent, under section 13B of Hindu Marriage Act, 1955 can be passed without waiting for the fixed period of the 6 months. Explain mentioning the relevant cases ? 5

क्या हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के अंतर्गत पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति निर्धारित 6 माह की अवधि की प्रतीक्षा किये बिना पारित की जा सकती है ? सुसंगत न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुये व्याख्या करें ?

14. Husband has sought annulment of marriage on the ground of wife being minor at the time of marriage. Discuss about maintainability of said petition referring the ratio laid down in Bhagwati alias Reena V. Anil Choubey AIR 2017 SC 1957 and the provisions of section 12(1)(c) of Hindu Marriage Act, 1955 ? 5

पति ने विवाह के समय पत्नी के अवयस्क होने के आधार पर विवाह का विघटन चाहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भगवती उर्फ रीना बनाम अनिल चौबे, ए. आई. आर.–2017 एस. सी. 1957 में प्रतिपादित निर्णय आधार एवं धारा–12(1)(ग) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान के संदर्भ में उक्त अर्जी की पोषणीयता पर चर्चा कीजिए ?

15. Whether Hindu married Daughter is entitled to share in coparcenary property ? Explain with the help of relevant case laws. 5

क्या हिन्दू विवाहित पुत्री सहदायिकी संपत्ति में अंश प्राप्त करने की अधिकारी है? सुसंगत न्यायदृष्टांतों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

16. Define declaratory relief, consequential relief, and mandatory injunction ? Whether temporary injunction is governed by the Specific Relief Act, 1963 ? Explain. 5

घोषणात्मक अनुतोष, पारिणामिक अनुतोष और आज्ञापक व्यादेश को परिभाषित कीजिए ? क्या अस्थायी व्यादेश विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 द्वारा शासित होता है ? स्पष्ट कीजिए।

17. Whether suit for decree of "Declaration" simpliciter is maintainable ? Explain with the relevant legal provisions and 5

case laws.

क्या केवल घोषणा की डिक्री हेतु वाद पोषणीय है ? सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं न्यायदृष्टांतों के साथ स्पष्ट कीजिए।

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

18. Limitation bars the remedy but does not extinguish the right, Explain. 5

परिसीमा अनुतोष को बाधित करती है किंतु अधिकार को समाप्त नहीं करती है, स्पष्ट कीजिए।

19. Whether plea of adverse possession can be used as a sword by the plaintiff ? Explain with the help of relevant case laws. 5

क्या प्रतिकूल आधिपत्य का अभिवाक् वादी द्वारा तलवार के रूप में प्रयोज्य है ? सुसंगत न्यायदृष्टांतों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961
मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

20. Explain in brief the provision of section 23-A (b) of Madhya Pradesh Accommodation Control Act, 1961 ? 5

धारा 23–क (ख) म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के प्रावधान को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2022

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 5
Total No. of Questions : 5

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 10
No. of Printed Pages : 10

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेख और सारांश लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answers as specified in question paper and such violation may lead to minus marking.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of question paper, Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका/अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

   किसी प्रश्न या प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि होने की दशा में, प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.1- **Write an article either in English or in Hindi on the following *Social* topic :**
निम्नलिखित*सामाजिक* विषय पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लेख लिखिएः —10

Hate Speech: in the light of freedom of expression

अभद्र भाषा : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आलोक में

Q.2- **Write an article either in English or in Hindi on the following *legal* topic:**
निम्नलिखित *विधिक* विषय पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लेख लिखिएः —10

God is not a juristic person, but idol is.
ईश्वर विधिक व्यक्ति नहीं है, परंतु मूर्ति है।

Q.3- Summarize the following legal passage into English (in around 1/3rd words of the passage given) :-

निम्नलिखित विधिक गद्यांश का अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (दिये गये गद्यांश के लगभग 1/3 शब्दों में) :— —20

This Court while considering the provisions of Sections 156(3), 169, 178 and 190 of the Code of Criminal Procedure, 1973 held that there is no power, expressly or impliedly conferred under the Code on a Magistrate to call upon the police to submit a charge-sheet, when they have sent a report under Section 169 of the Code, that there is no case made out for sending up an accused for trial. The functions of the magistracy and the police are entirely different and the Magistrate cannot impinge upon the jurisdiction of the police, by compelling them to change their opinion so as to accord with his view. However, he is not deprived of the power to proceed with the matter. There is no obligation on the Magistrate to accept the report if he does not agree with the opinion formed by the police.

The report may conclude that an offence appears to have been committed by a particular person or persons and in such a case, the Magistrate may either (1) accept the report and take cognizance of the offence and issue process, or (*2*) may disagree with the report and drop the proceeding, or (3) may direct further investigation under Section 156(3) and require the police to present final report.

The report on the other hand may state that according to the police, no offence appears to have been committed. When such a report is placed before the Magistrate he again has the options of adopting one of the three courses open, that are (1) he may accept the report and drop the proceeding; or (2) he may disagree with the report and take a view that there is sufficient ground for proceeding further, take cognizance of the offence and issue process; or (3) he may direct further investigation to be made by the police under Section 156(3).

The position is, therefore, now well settled that upon receipt of a police report under Section 173(2), a Magistrate is entitled to take cognizance of an offence under Section 190(1)(*b*) of the Code even if the police report is to the effect that no case is made out against the accused. The Magistrate can take into account the statements of the witnesses examined by the police during the investigation and take cognizance of the offence complained of and order issue of process against the accused. Section 190(1)(*b*) does not lay down that a Magistrate can take cognizance of an offence only if the investigating officer gives an opinion that after investigation a case against the accused has been made out.

The Magistrate can ignore the conclusion arrived at by the investigating officer and independently apply his mind to the facts

emerging from the investigation and take cognizance of the case, if he thinks fit, exercise his powers under Section 190(1)(*b*) and direct issue of process against the accused. The Magistrate is not bound in such a situation to follow the procedure laid down in Sections 200 and 202 of the Code for taking cognizance of a case under Section 190(1)(*a*) though it is open to him to act under Section 200 or Section 202 also.

The informant is not prejudicially affected when the Magistrate decides to take cognizance and to proceed with the case. But where the Magistrate decides that sufficient ground does not subsist for proceeding further and drops the proceeding or takes the view that there is material for proceeding against some and there are insufficient grounds in respect of others, the informant would certainly be prejudiced as the first information report lodged becomes wholly or partially ineffective.

Where the Magistrate decides not to take cognizance and to drop the proceeding or takes a view that there is no sufficient ground for proceeding against some of the persons mentioned in the first information report, notice to the informant and grant of opportunity of being heard in the matter becomes mandatory. As indicated above, there is no provision in the Code for issue of a notice in that regard. The question relating to issue of notice and grant of opportunity as afore described is of general importance.

Q.4- Translate the following 30 Sentences into English :-
निम्नलिखित 30 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :- —30

(1) जब किसी कानून का आशय आज्ञापक होता है, तब वह नकारात्मक आदेश से आच्छादित होता है।

(2) प्रतिषेधात्मक या नकारात्मक शब्द विरलता से ही, यदि कभी उनका प्रयोग किया जाये, निदेशात्मक होते हैं।

(3) एक मामले पर विचार करते समय किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य में प्रकट हुए लोपों, विरोधाभासों या विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ दे सकता है।

(4) समाचार पत्र में प्रकाशन किये जाने सहित विभिन्न तरीकों से प्रत्यर्थी को नोटिस तामील कराये जाने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित होने में असफल रहा है।

(5) उन मुकदमेबाजों को, जिन्होंने मिथ्या अभिवचन और कूट रचित दस्तावेजों के बल पर, अंतरिम व्यादेश अभिप्राप्त किया है, पर्याप्त रूप से दण्डित किया जाना चाहिये।

(6) समाज में महिला की मर्यादा का आदर करना सभ्य समाज की मूल सभ्यता को दर्शाता है।

(7) किसी अधिवक्ता द्वारा वृत्तिक सदाचार के सिद्धांतों का किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है।

(8) आठ वर्ष की ऐसी कन्या के साथ पाश्विक व्यवहार किया गया, जिसके खेलने कूदने की आयु थी और उसकी भौतिक गरिमा और निष्कलंकता बर्बाद हुई।

(9) अब यह सुस्थापित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 के अधीन किसी साक्षी को पुनः बुलाने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या वाद के किसी पक्षकार द्वारा फाईल किए गए आवेदन के आधार पर किया जा सकता है।

(10) न्यायालयों को वह कार्य करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, जो अन्तर्निहित शक्तियों के तात्पर्यित प्रयोग द्वारा विधि या संहिता के अनुसार प्रतिषिद्ध हो।

(11) न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध मिथ्या अभिकथन करने और उन्हें अपमानित करने संबंधी खतरनाक प्रवृत्ति को कठोरता से रोकने की आवश्यकता है।

(12) विज्ञान के इस युग में हमें ऐसे विधिक सिद्धांतों की रचना करनी चाहिए, जो विज्ञान और विधि की दृष्टि से ठोस हों।

(13) उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

(14) राज्य के विधान–मण्डल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारीवृंद होगा।

(15) प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिये

दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियॉं होंगी।

(16) जहॉं नमूना उस परिसर से लिया जाता है, जिस परिसर में औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है, वहॉं नमूने को केवल तीन प्रभागों में विभक्त करना आवश्यक होगा।

(17) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है।

(18) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से सम्पर्क में ना आये।

(19) विशेष न्यायालय, मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता–पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है।

(20) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को महिलाओं के समानता, प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण समझा गया है।

(21) बहुधा न्याय के संदर्भ में कहा जाता है कि न्याय का होना ही आवश्यक नहीं है वरन् यह भी आवश्यक है कि जनता को यह प्रतीत भी हो कि न्याय हुआ है।

(22) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, जो यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं, किंतु अन्यथा सुसंगत है।

(23) न्यायालय समन निकालने के समय यह अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये होगा या वाद के अंतिम निपटारे के लिये होगा।

(24) यह न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं है कि जिस प्रतिवादी के विरूद्ध किसी अनुतोष का दावा नहीं किया गया है उसके विरूद्ध अनुतोष की मंजूरी दी जाये।

(25) परिवादी का एक खुले खेत में प्रवेश करना जिसका अपीलार्थीगण के कब्जे में होना तात्पर्यित है, गृह अतिचार का प्रकरण नहीं हो सकता।

(26) अभिलेख, यदि साध्य हो तो, उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, यदि यह साध्य न हो तो न्यायालय की भाषा में होगा।

(27) अभियुक्त को सदैव उसके विरूद्ध विरचित किये गये आरोपों से अवगत कराया जाना चाहिये, ताकि वह अपना साक्ष्य उचित रूप से प्रस्तुत कर सके।

(28) ऐसे हस्तांतरण विलेख जो सम्यक् रूप से मुद्रांकित एवं पंजीकृत हों, जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है, के अभाव में स्थावर संपत्ति में कोई भी अधिकार, हक या हित

अंतरित नहीं हो सकता।

(29) चक्षुदर्शी साक्षी के आचरण एवं व्यवहार का परीक्षण इस कसौटी पर किया जाना चाहिए कि क्या उसका व्यवहार स्वाभाविक एवं संभावित है।

(30) यदि न्यायालय द्वारा एक मात्र साक्षी का अभिकथन विश्वसनीय पाया जाये, दोषसिद्धी का आधार हो सकता है।

Q.5- Translate the following 30 Sentences into Hindi :-
निम्नलिखित 30 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :- —30

(1) No application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed rejection.

(2) There shall be no discrimination against a child on any grounds including sex, caste, ethnicity, place of birth, disability and equality of access, opportunity and treatment shall be provided to every child.

(3) No person shall be eligible for selection as a member of the Board, if he has any past record of violation of human rights or child rights.

(4) It is well settled that the substantive evidence is the evidence of identification in court and the test identification parade provides corroboration to the identification of the witness in court, if required.

(5) It is necessary to reiterate that the multiplier method is logically sound and legally well established.

(6) The proposition of law is no longer res integra that the person who alleges breach must prove the same.

(7) The courts should be extremely careful and cautious in granting ex-parte ad-interim injunctions or stay orders.

(8) Pleadings are the foundation of the claims of parties. Civil litigation is largely based on documents.

(9) It is an irony that while we are celebrating women rights in all spheres, we show little or no concern for her honour. It is a sad reflection of the attitude of indifference of the society towards the violation of human dignity of the victims of sex crimes.

(10) Law in this behalf is absolutely clear. What cannot be done directly cannot be done indirectly.

(11) A civil court does not grant leave to file another suit. If the law permits, the plaintiff may file another suit.

(12) In absence of additional evidence, if Appellate Court concludes that trial's court order is not in accordance with law, then it should decide the matter by itself only and must not remand the matter simply for rewriting the judgment.

(13) Where the rules are silent, then the gap can be filled up by issuing executive instructions, however such instructions can only supplement the rule, but cannot supplant the rule.

(14) Plaintiff is not required to make out a clear legal title but has only to satisfy the court that he has fair question to arise as to existence of legal right claimed by him in suit.

(15) Court cannot take into consideration external materials given by accused for arriving to a conclusion that no offence was disclosed or there was possibility of acquittal.

(16) By seeking amendment, petitioner has not tried to set up a new case, only consequential relief was sought by him, which was already in substance in the suit in another form.

(17) An order affecting fundamental right or legal right of a citizen, is not an interlocutory order and revision is maintainable against

it.

(18) The Revisional Court while hearing a revision petition against an order dismissing a complaint is not obliged to hear the accused.

(19) FIR need not be an encyclopedia but is very vital material. It is the first information about incident in which there are less chance of alteration and improvement about the incident.

(20) Issues arise when a material proposition of fact or law is affirmed by one party and denied by the other.

(21) The parties cannot challenge the findings of the trial court before Appellate Court without filing cross objection against finding of trial court.

(22) Deciding the title arising out of Will is the domain of civil court only.

(23) At the last stage of defendant's evidence production of documents by the plaintiff should not be allowed specially where negligence of plaintiff is clear.

(24) Filling of an application under section 5 for condonation of delay before the court in writing is not mandatory. The court after using its discretion may condone delay even without written application.

(25) Without giving an opportunity to plaintiff for impleadment of a necessary party, suit cannot be dismissed on ground of non-joinder of necessary party.

(26) In Hindu Law, marriage is not a contract. Marriage cannot be performed by execution of a marriage affidavit.

(27) Revnue Court does not have any jurisdiction to dwell upon the question of title of a party. Civil rights of the party are to be determined by the civil court and not by the Revenue Court.

(28) A lessee has no right to sell the property which was leased by state in his favour because transfer of ownership rights is not included in lease.

(29) If there is a clear dispute of title, in absence of relief of declaration of title, the suit itself is not maintainable.

(30) When the parties sign a document, they can not wish away the consequences which flow from the signing of document.

*****

M.P.HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2022

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 07
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 07

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र
LOCAL LAWS, CRIMINAL LAW & PROCEDURE
स्थानीय विधियाँ, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय – 03:00 घण्टे
Time – 03:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of any question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका / अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता / मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

1. Describe the essential ingredients to constitute the offence of "Dowry Death"? Explain the meaning of expression "soon before her death" with relevant judgments ? 5

''दहेज मृत्यु'' के अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए ? ''उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व'' अभिव्यक्ति के अर्थ को सुसंगत न्याय दृष्टांतों के साथ समझाईये ?

2. Whether failure of the police to recover the corpse renders the prosecution case doubtful ? Explain. 5

क्या पुलिस के द्वारा मृत व्यक्ति के शरीर की बरामदगी करने में असफलता, अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देती है ? स्पष्ट कीजिये।

3. What is the 'Doctrine of Transferred Malice' under section 301 of the Indian Penal Code, 1860 ? 5

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 301 के अंतर्गत दुराशय के अंतरण का सिद्धांत क्या है ?

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

4. Whether a person who is declared an absconder or proclaimed offender in terms of Section 82 of Criminal Procedure Code, 1973, can be granted relief of anticipatory bail ? Explain with reason. 5

क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–82 के अंतर्गत फरार अथवा उद्घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जा सकता है ? सकारण स्पष्ट कीजिये।

5. Whether more than one default sentences, for non-payment of fine, 5

in multiple offences can run concurrently inter se ? Explain with reasons ?

क्या कई अपराधों में, अर्थदंड अदा न करने पर, एक से अधिक व्यतिक्रम के कारावास आपस में साथ–साथ भुगताये जा सकते हैं ? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

6. Define victim and their right to file appeal. Whether victim can file appeal for enhancement of sentence ? Who can prefer appeal against inadequate sentence ? 5

पीड़ित और उसके अपील प्रस्तुत करने के अधिकार को परिभाषित करें। क्या पीड़ित दण्डादेश में वृद्धि के लिये अपील प्रस्तुत कर सकता है ? अपर्याप्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील कौन प्रस्तुत कर सकता है ?

7. Whether immovable property can be seized by police officer under section 102 of Criminal Procedure Code, 1973 ? Explain with the help of relevant case laws. 5

क्या पुलिस अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 के अंतर्गत अचल संपत्ति का अभिगृहण किया जा सकता है? सुसंगत न्यायदृष्टांतों की सहायता से स्पष्ट करें ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

8. It is the general rule of evidence that hearsay evidence is not admissible but Section 6 of Indian Evidence Act, 1872 is an exception to the said rule. Discuss the statement in the light of the ratio laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Dhal Singh Dewangan v/s State of Chhattisgarh (2016) 16 SCC 701 ? 5

साक्ष्य का सामान्य नियम यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होती है परन्तु धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 उक्त नियम का अपवाद है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत ढल सिंह देवांगन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2016) 16 एस.सी.सी. 701 में प्रतिपादित **निर्णय–आधार** के आलोक में उक्त कथन पर चर्चा कीजिए ?

9. "The admissibility of photo copies as secondary evidence must be tested on the touchstone of the statutory provisions mentioned under section 63 (2) read with section 65 (c) of Indian Evidence Act, 1872." Explain the statement in the light of relevant case laws. 5

"छायाप्रतियों की द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता की परख धारा 63 (2) सहपठित धारा 65 (ग), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कानूनी उपबंध की कसौटी पर की जानी चाहिए।" सुसंगत न्यायदृष्टांतों के आलोक में उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए ?

10. Explain the principal of last seen and its evidentiary value in **the** light of section 106 of Indian Evidence Act, 1872 ? 5

अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत तथा इसके साक्ष्यिक मूल्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के आलोक में स्पष्ट कीजिए ?

SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989
अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

11. Distinguish between "any place in public view" and "public place" with the help of relevant case laws. 5

सुसंगत न्यायदृष्टांतों की सहायता से "लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान" एवं "लोक स्थान" के मध्य विभेद कीजिए ?

12. What are the directions given by the Supreme Court in the case of Subhash Kashinath Mahajan Versus State of Maharashtra, AIR 2018 SC 1498, for arrest of accused ? What amendment was inserted by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) amendment Act, 2018 in respect of arrest of any person subsequent to this judgment ? 5

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य ए आई आर 2018 सुप्रीम कोर्ट 1498 के मामले में अभियुक्त की अभिरक्षा के संबंध में

दिये गये दिशा निर्देश क्या हैं ? इस निर्णय के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में क्या संशोधन अन्तःस्थापित किया गया है?

13. What will be the effect of investigation by a police officer below the rank of Deputy Superintendent of Police, in a case in which the offences are registered under Indian Penal code, 1860 as well as Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 ? Explain. 5

उप अधीक्षक पुलिस के पद से न्यून पद के पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे मामले में, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 दोनों के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया हो, किए गये अन्वेषण का क्या प्रभाव होगा ? स्पष्ट कीजिए।

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

14. Explain the procedure for media with the limitation on media, studio and photographic facility, under section 23 of Protection of children from sexual offences Act, 2012 ? 5

मीडिया, स्टूडियो और फोटोचित्रण सुविधा पर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 23 के अध्यधीन अधिरोपित निर्बंधनों के साथ मीडिया के लिये प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए ?

15. Whether presumption under section 30 of Protection of children from sexual offences Act, 2012 casts a burden on the accused to rebut it beyond reasonable doubt ? Explain. 5

क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–30 की उपधारणा अभियुक्त पर उसे युक्तियुक्त संदेह से परे खण्डित करने का भार अधिरोपित करती है ? स्पष्ट कीजिए।

16. What punishment has been provided for the following offences :- 5

(a) Penetrative Sexual Assault on a child below 16 years of age.

(b) Aggravated Penetrative Sexual Assault

(c) Sexual Assault

(d) Sexual Harassment

(e) Using child for pornographic purposes

निम्न अपराधों में कितने दण्ड का प्रावधान किया गया है :–

(अ) 16 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला

(ब) गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला

(स) लैंगिक हमला

(द) लैंगिक उत्पीड़न

(ई) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

17. What is the legal position with regard to application of section 50 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 to personal search of a person ? Does this provision apply where a bag in possession of an accused is to be searched ? 5

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी **हेतु** स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 की प्रयोज्यता **के संबंध में** विधिक स्थिति क्या है ? क्या यह प्रावधान, जहाँ कि अभियुक्त के कब्जे के बैग की तलाशी ली जाना हो, प्रयोज्य है ?

18. Explain the applicability of section 32-A read with section 33 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. 5

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 32–क सहपठित धारा 33 की प्रयोज्यता को स्पष्ट कीजिए।

19. What restrictions has been imposed for considering the bail application under section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ? Explain the expression "reasonable grounds" with the help of relevant case laws. 5

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37 के अतंर्गत जमानत के आवेदन पर विचार हेतु क्या निर्बंधन अधिरोपित किये गये हैं ? अभिव्यक्ति ''युक्तियुक्त आधार'' को सुसंगत न्यायदृष्टांतों की सहायता से स्पष्ट कीजिए ?

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

20. Whether the section 143A and section 148 inserted in Negotiable Instrument Act, 1881 are prospective or retrospective ? Explain. 5

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 में अंतःस्थापित की गई धारा 143ए और धारा 148 का भविष्यलक्षी प्रभाव रहेगा अथवा भूतलक्षी प्रभाव रहेगा ? स्पष्ट कीजिए।

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2022

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 22
No. of Printed Pages : 22

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Question Paper, Answer-Book / Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book/ Supplementary Sheet not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
प्रश्न–पत्र, उत्तर पुस्तिका / अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका / अनुपूरक शीट में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना, जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होती है, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Frame the issues on the basis of the following pleadings –

- 10 Marks

PLAINTIFF'S PLEADINGS –

1. The case of Plaintiff is that he is owner and landlord of Municipal House No. 9, situated in a ward No. 10 Mohalla Ramtekri of Mandsaur city. He purchased this house (which is hereinafter referred to as suit-house) from the M.P. Housing Board in the year 2005 through a registered sale-deed. The suit-house consists of a drawing-room, two bedrooms, one kitchen and one attached bathroom and toilet. He let out the suit-House for residence to the defendant on 01.04.2006, on the monthly rent of 500 rupees. The defendant was his class-mate since school days. As a result of his close friendship, he had not got the rent-note executed by him. Therefore, the tenancy is oral. The tenancy begins on first day of Gregorian month and comes to end on the last day of the same month. The defendant has been irregular in payment of rent. The defendant has not paid to him the rent from 01.10.2012 to 31.12.2013 despite several demands made orally. Five to Six Months prior to filing of this suit, the defendant making substantial additions and alterations, converting drawing-room into a shop from which his wife carries out the business of Beauty parlor. Due to this substantial additions & alterations, the value of suit-house has diminished substantialy. This act of defendant is exactly contrary to the object of residence for which purpose he had let the suit-house to the defendant. Owing to Beauty parlor, many people comes due to which the peaceful life of the people neighboring the suit-house gets disturbed. As such, the defendant is responsible for causing nuisance.

2. Further case of the Plaintiff is that he is residing with his family members in the ancestral house situated at Mohalla Rambagh of Mandsaur city. In his family he has a wife, one married son, and two major sons who are studying in college. In this house, there are three bed-rooms, and one drawing room. In view of the number of his family members, there is an acute shortage of space in the house, therefore he needs the suit-house bonafidely for the residence of his married son Pratik and his family. He does not have any

suitable alternate accommodation available within the municipal limits of Mandsaur City for his son prateek & his family for residence.

3. Further, the case of the plaintiff is that the defendant has recently purchased a house in Mandsaur city in the name of his wife from the M.P. Housing Board. This house is suitable for the residence of the defendant and his family. He has terminated the tenancy of the defendant from 31.12.2013 by sending a registered notice dated 22.10.2013 through his advocate. The defendant received this notice on 1.11.2013. With this notice he has also demanded from the defendant the arrears of rent for the period between 1.10.2012 to 31.12.2013 amounting seven thousand five hundred rupees within two months from the receipt of the notice, and directed the defendant to handover the vacant possession of the suit-house on or before 09.03.2014. The defendant has not complied with the directions given in the notice. As a result, he has filed this suit for eviction and the recovery of arrears of rent against the defendant under provision of M.P. Accommodation Control Act, 1961.

DEFENDANT'S PLEADINGS -

4. The defendant in his written statement denied the averments made in the plaint. He asserted that he pays the rent of the suit-house regularly to the plaintiff. The plaintiff does not give him receipt of the rent. The plaintiff makes entries of rent in a diary maintained by him. He has paid the rent till 31.12.2013 to the plaintiff. The plaintiff has denied to accept the rent of the later period, that is why he deposited the rent in the Court. He has opened the Beauty Parlor in the Drawing room with the oral consent of the plaintiff. He has not made any substantial addition or alteration in the drawing room while opening the Beauty Parlour in the Drawing room. Hence the assertion made by plaintiff is false that the value of the disputed house has gone down substaintially due to opening of the Beauty Parlor & this act of him is exactly contrary to the purpose for which the disputed house is let to him. Limited people come to the Beauty parlor. Hence the statement of plaintiff is false that the peaceful life of the neighbour gets disturbed due to visit of many people. He negotiated with the officials posted at Mandsaur of the Housing Board to purchase a house, but they were out of his economic reach due to exorbitant cost. That is why he could not purchase a house. The plaintiff's married son Pratik is in Government Job. At Present he is posted at Ratlam, where he is

residing with his wife. The plaintiff has made completely false averments in this regard. In fact the plaintiff wants to get the suit-house vacated from him either by hoock or croock so that he can let the suit-house to any other family on higher rent. Upon these averments, the defendant prayed for the dismissal of the suit with cost.

विवाद्यकों की विरचना

प्रश्न–1 निम्नांकित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये :– 10 अंक

वादी के अभिवचन –

1 वादी का मामला यह है कि वह मंदसौर शहर के म्यूनिसिपल भवन क्रमांक 9 वार्ड नंबर 10 स्थित रामटेकरी का मालिक एवं भवन स्वामी है। उसने यह मकान (जिसे एतद् पश्चात वादग्रस्त मकान कहा जावेगा) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल से वर्ष 2005 में पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था। वादग्रस्त मकान में एक बैठक कक्ष, दो शयनकक्ष, एक रसोई घर एवं एक संलग्न स्नानगृह एवं शौचालय हैं। उसने प्रतिवादी को वादग्रस्त मकान दिनांक 01.04.2006 को पांच सौ रूपये मासिक किराये पर रहने हेतु दिया था। प्रतिवादी उसका सहपाठी स्कूल के समय रहा था। उसकी प्रतिवादी से गहरी मित्रता थी, इसलिये उसने प्रतिवादी से किरायानामा का निष्पादन नहीं कराया था। इस प्रकार किरायेदारी मौखिक है। किरायेदारी अंग्रेजी माह के प्रथम तारीख को प्रारंभ होती है और उसी माह की अंतिम तारीख को समाप्त हो जाती है। प्रतिवादी किराया देने में अनियमित है। प्रतिवादी ने उसे दिनांक 01.10.2012 से 31.12.2013 तक का किराया अनेक बार मौखिक मांगने पर भी नहीं दिया। उसके द्वारा यह वाद प्रस्तुत करने के पांच–छः माह पूर्व प्रतिवादी ने उसकी लिखित अनुमति के बगैर वादग्रस्त मकान की बैठक कक्ष में सारभूत परिवर्ततन एवं परिवर्द्धन करके बैठक कक्ष को एक दुकान में परिवर्तित कर दिया है, जहां से उसकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है। इस सारभूत परिवर्तन एवं परिवर्धन के कारण वादग्रस्त मकान की कीमत में सारभूत कमी आयी है। प्रतिवादी का यह कृत्य उसे रहवास के उद्देश्य से दिये गये वादग्रस्त मकान के प्रयोजन से ठीक विपरीत है। ब्यूटी पार्लर के कारण अनेक लोग आते हैं, जिसके कारण वादग्रस्त मकान के पड़ोस में रहने वाले लोगों के शांतिप्रिय जीवन में विघ्न पैदा होता है। इस प्रकार प्रतिवादी न्यूसेंस पैदा करने का जिम्मेदार है।

2 वादी का आगे मामला यह है कि वह वर्तमान में उसके परिवार के सदस्यों के साथ मंदसौर शहर के मोहल्ला रामबाग में स्थित उसके पैतृक मकान में रह रहा है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक विवाहित पुत्र तथा दो व्यस्क पुत्र है, जो कालेज में पढ़ते हैं। इस मकान में तीन शयनकक्ष व एक बैठक कक्ष है। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या को देखते हुये वादग्रस्त मकान में स्थान का सर्वथा अभाव है, इसलिये उसे

वादग्रस्त मकान की उसके विवाहित पुत्र प्रतीक एवं उसके परिवार के रहवास हेतु सद्भावनापूर्वक आवश्यकता है। उसके पास मंदसौर शहर की नगर पालिका क्षेत्र में कोई वैकल्पिक उपयुक्त स्थान उसके पुत्र प्रतीक व उसके परिवार के निवास हेतु नहीं है।

3 वादी का आगे मामला यह है कि प्रतिवादी ने कुछ ही समय पूर्व मंदसौर में उसकी पत्नी के नाम से मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल से एक मकान रहवास हेतु क्रय किया है। यह मकान उसके व उसके परिवार के रहवास हेतु उपयुक्त है। उसने दिनांक 22.10.2013 को उसके अभिभाषक के माध्यम से पंजीकृत डाक से सूचना पत्र भेजकर, प्रतिवादी की वादग्रस्त मकान में किरायेदारी दिनांक 31.12.2013 से समाप्त कर दी है। प्रतिवादी को यह सूचना पत्र दिनांक 01.11.2013 को प्राप्त हुआ है। उसने इस सूचना पत्र के माध्यम से प्रतिवादी से वादग्रस्त मकान का 01.10.2012 से 31.12.2013 की अवधि के अवशेष किराये, जो कि सात हजार पांच सौ रूपये होता है, की अदायगी, मांग सूचना पत्र मिलने की दिनांक से दो माह के भीतर करने हेतु माँग की है और प्रतिवादी को निर्देशित किया है कि वह वादग्रस्त मकान का रिक्त आधिपत्य उसे दिनांक 09.03.2014 या इसके पूर्व सौंप देवे। प्रतिवादी ने सूचना पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप उसने यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन बकाया किराये की वसूली एवं निष्कासन हेतु प्रस्तुत किया है।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन –</u>

4 प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में वादपत्र में किये गये अभिवचनों का प्रत्याख्यान किया है। उसने यह कथन किया है कि वह वादी को नियमित रूप से वादग्रस्त मकान का किराया देता रहा है। वादी उसे किराये की रसीद नहीं देता है। वादी किराये की प्रविष्टि उसके द्वारा संधारित एक डायरी में करता है। उसने वादी को दिनांक 31.12.2013 तक का किराया अदा कर दिया है। उसके पश्चात की अवधि का किराया वादी ने उससे लेने से इंकार कर दिया था, इस कारण उसने किराया न्यायालय में जमा करा दिया है। उसने वादी की मौखिक अनुमति से वादग्रस्त मकान के बैठक कक्ष में ब्यूटी पार्लर खोला है। बैठक कक्ष में ब्यूटी पार्लर खोलते समय उसने बैठक कक्ष में कोई सारभूत परिवर्द्धन एवं परिवर्तन नहीं किया है। अतः वादी का यह कहना असत्य है कि उसके द्वारा ब्यूटी पार्लर खोलने से वादग्रस्त मकान की कीमत में सारभूत कमी आ गयी है और उसका यह कृत्य उसे वादग्रस्त मकान, जिस प्रयोजन से दिया गया है, उससे ठीक विपरीत है। ब्यूटी पार्लर में सीमित संख्या में लोग आते है। अतः वादी का यह कहना असत्य है कि अनेक लोगो के आने से पड़ोसी के शांतिप्रिय जीवन में विघ्न पैदा होता है। उसने मंदसौर में पदस्थ मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के अधिकारियों से एक मकान क्रय करने की चर्चा की थी परंतु मकान की कीमत अत्यधिक होकर उसकी आर्थिक क्षमता के बाहर थी। इसी कारण वह मकान क्रय नहीं कर सका। वादी का विवाहित पुत्र प्रतीक शासकीय नौकरी में है। वर्तमान में, उसकी पदस्थापना रतलाम में है, जहॉ पर वह अपनी

पत्नी के साथ रह रहा है। इस संबंध में वादी ने पूर्ण रूप से असत्य अभिवचन किये हैं। वास्तव में वादी उससे वादग्रस्त मकान येन केन प्रकारेण रिक्त करवाकर अधिक किराये पर अन्य परिवार को देना चाहता है। इन अभिवचनों के आधार पर प्रतिवादी ने वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

FRAMING OF CHARGES

Q. 2 - Frame charge(s) on the basis of following facts - **- 10 Marks**

PROSECUTION CASE -

The case of the Prosecution is that ten months before registration of the First Information Report on 16.07.2014, when the Prosecutrix was 17 year and 2 months old, accused Rishiraj came to residence on rent in her village Basti. Accused got acquainted with the prosecutrix. Accused, took prosecutrix to tekdi jungle where he raped her on the pretext of marrying her. After three four days accused took her to the jungle at khapa where he raped Prosecutrix again.

Further, the case of the Prosecution is that after about one month the prosecutrix got pregnant. Prosecutrix informed the accused about the same then accused told her not to tell anyone about it and assured her of marriage. Accused took prosecutrix to a rental house in basant colony and kept her there for nine months. Accused kept raping Prosecutrix for nine months on the pretext of marrying her.

When the Prosecutrix got labor pain after nine months, then accused Rishiraj took her to the hospital, where she gave birth to a baby boy on 06.06.2014. After lodging in the hospital for 5 hours, accused took her and Child to the bus stand and forcebly snatched the child from her. Accused asked the prosecutrix to return to her parents and intimidated her to kill her and her parents if she dares to tell the incident to any person.

The offence was registered against the accused on the basis of the first Information given against him by the prosecutrix on 16.07.2014. Medical examination of prosecutrix was conducted after obtaining her consent. Accused was arrested by the police. Accused gave memorandum statement that he has murdered the newly born baby and buried his body beneath a stone under the

earth near the bypass road. On the basis of this information police, after obtaining permission from the sub divisional magistrate, disinterred the body (Skeleton) of the baby after digging the earth under the stone near the bypass road. The skeleton of the baby was sent for post mortem. The death of the newly born baby was caused due to injury on the head. Above injury was ante mortem in nature. The accused was also medically examined. He was found to be capable of performing sexual intercourse. Properties were seized during the investigation. After investigation, Charge sheet was filed against the accused.

आरोपों की विरचना

प्रश्न–2 निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आरोप/आरोपों की विरचना कीजिए :– 10 अंक

अभियोजन का प्रकरण

अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये के दस माह पूर्व दिनॉक 16.07.2014 को जब अभियोक्त्री की उम्र 17 वर्ष 02 माह थी, तब उसके गाँव बस्ती में अभियुक्त ऋषिराज किराये से रहने के लिए आया। अभियुक्त की जान–पहचान अभियोक्त्री से हो गई। अभियुक्त, अभियोक्त्री को टेकड़ी के जंगल में ले गया, जहॉ उसने अभियोक्त्री से शादी का बहाना बनाकर बलात्संग किया। तीन–चार दिन बाद अभियुक्त, अभियोक्त्री को खापा के जंगल में ले गया जहाँ उसने पुनः अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया।

अभियोजन का प्रकरण आगे इस प्रकार है कि लगभग एक माह पश्चात् अभियोक्त्री गर्भवती हो गई। अभियोक्त्री ने अभियुक्त ऋषिराज को इसकी जानकारी दी तो अभियुक्त ने उसे उक्त बात किसी को भी नहीं बताने को कहा और शादी करने का आश्वासन दिया। अभियुक्त, अभियोक्त्री को बसंत कॉलोनी में एक किराये के मकान में लेकर गया और वहाँ उसे 09 माह तक रखा। अभियुक्त 9 माह तक उसके साथ शादी के बहाने से बलात्संग करता रहा था।

अभियोक्त्री को 09 माह बाद प्रसव पीड़ा हुई तो अभियुक्त ऋषिराज उसे अस्पताल ले गया जहाँ अभियोक्त्री ने दिनाँक 06.06.2014 को एक लड़के को जन्म दिया। अस्पताल में 5 घंटे रहने के बाद अभियुक्त, अभियोक्त्री व बच्चे को लेकर बस स्टेण्ड आया और वहाँ बच्चे को उससे जबर्दस्ती छीन लिया। अभियुक्त ने अभियोक्त्री को उसके माता–पिता के पास वापस जाने के लिए कहा और धमकी दी कि यदि उसने किसी भी व्यक्ति को घटना बताने की हिम्मत की तो वह अभियोक्त्री एवं उसके माता–पिता को जान से खत्म कर देगा।

अभियोक्त्री के द्वारा दिनॉक 16.07.2014 को प्रथम बार सूचना दिये जाने के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोक्त्री की सहमति प्राप्त करने के उपरांत उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के द्वारा मेमोरेण्डम कथन दिया गया कि उसके द्वारा नवजात शिशु की हत्या कर दी है और उसके शव को बायपास मार्ग के पास पत्थर के नीचे जमीन खोदकर दफना दिया है। उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बायपास मार्ग के पास पत्थर के नीचे से जमीन खोदकर नवजात शिशु के शव (कंकाल) को बरामद किया। नवजात शिशु के कंकाल को शव परीक्षण हेतु भेजा गया। नवजात शिशु की मृत्यु, सिर पर चोट लगने के कारण हुई थी। उक्त चोट की प्रकृति मृत्यु पूर्व की (Ante-Mortem) थी। अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। वह संभोग करने में सक्षम पाया गया। अन्वेषण के दौरान संपत्तियॉ जप्त की गईं। अन्वेषण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of following pleadings and evidence after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiff's Pleadings :-

The Suit has been presented for declaration of title, cancellation of mutation in the name of defendants, recovery of possession and perpetual injunction. The subject-matter of suit is an agricultural land recorded in the name of defendant no. 2 in revenue record survey no. 38 area 3.2 hectare, village Patan. Suit is filed on 08.03.2007.

Baldev Singh was the original owner of the suit land. He sold this land to plaintiff vide registered sale deed dated 18.07.1972 for a consideration of ₹1000/- and handed over possession to him. On the basis of this sale deed name of plaintiff was recorded in revenue record in place of original owner by the order dated 20.07.1973 of assistant superintendent of land record passed in mutation panzi 17/1973. Now he is owner and possessor of the suit land.

In the year of 1988 name of defendant no.1 had been mutated, in place of plaintiff, on suit land by mutation panzi 02/87-88, with the connivance of revenue officers, without any order of competent authority and without giving information to plaintiff. Thereafter, in May 1989 name of defendant no.2

was mutated in revenue records. After transfer of previous Patvari, who recorded the name of defendant no.1, on 9.10.1989, plaintiff came to know about this mutation and sale deed dated 13.03.1989 executed by defendant no.1 in favour of defendant no.2, when he obtained the certified copies of revenue record. He challenged the mutation of defendants on 10.12.1989 in revenue court.

Mutation of defendant no.1 was set aside by the order of sub divisional officer, which order is set aside by the order dated 07.11.2006 of Additional commissioner. Presently, revision is pending before the Board of Revenue.

On 05.02.2007, defendants threatened to dispossess plaintiff, after passing of order of Additional Commissioner in their favour. They have put some construction material on an area of 500 square feet of this land. They have tried to raise boundary wall on suit land. Market value of property is more than 1,00,00,000/- (one crore).

Defendant's Pleadings :-

Defendants, while filling joint written statement have denied all material facts averred in plaint. They have admitted that Baldev Singh is the original owner of suit land and revenue proceedings took place between both parties and market value of property is more than 1,00,00,000/- (one crore).

Defendants have pleaded that defendant no.1 purchased suit land from Baldev Singh vide sale deed dated 03.11.1970 for a consideration of ₹99/-.

Defendant no.1 had received possession over suit land from Baldev Singh. On the basis of the said sale deed and continuous possession of 20 years, his name had been entered in revenue record after following prescribed legal procedure in the year of 1987-1988.

Defendant no.1 has sold suit land to defendant no.2 vide registered sale deed dated 13.03.1989 for a consideration of ₹1,500/-. Name of defendant no.2 has been mutated in place of defendant no.1. Now defendant no.2 is the owner and in possession of the suit land. Suit is filed after 19 years from order of mutation made in favour of defendant no.1, therefore, it is barred by limitation.

Plaintiff Evidence:- Plaintiff has examined himself, P.W.2 and P.W.3 to prove registered sale deed dated 18.07.1972 Ex.P1. The Patwari P.W.4

is examined to prove mutation of plaintiff recorded khasra Ex.P2, P3 and P3 for the year (1972 to 1987).

Defendants Evidence:- Defendants have examined themselves as DW1 and DW2. They produced unregistered sale deed dated 03.11.1970 Ex.D1 executed by Baldev Singh in favour of defendant no.1 and registered sale deed dated 13.03.1989 Ex.D2 executed in favour of defendant no.2 by defendant no.1, copy of mutation proceeding Ex.D3 and 4, Khasra Ex.D5 to and D6 for the year 1988 and 1989, wherein name of defendant no.1 and thereafter defendant no. 2 are recorded.

Argument of plaintiff:- Baldev Singh did not appear in court for proving unregistered sale deed Ex.D1 and possession of defendant no.1. Mutation made in favour of defendants in pursuant of illegal sale deed Ex.D1 and D2 would not create title in their favour .

Sale deed Ex.P1 executed by Baldev Singh in favour of plaintiff is registered document, his name was mutated by virtue of this sale deed, which continued till 1987-88. He is title holder. Suit is under limitation.

Argument of defendants:- Value of suit land was less than ₹100/-, therefore, this could be transferred by delivery of possession, for which registration was not required. Unregistered sale deed Ex.d1 is executed for consideration of ₹99, hence, it is a legal and valid document.

Name of defendant no.1 is entered in revenue record on the basis of this deed. His name has been recorded in revenue record in 1987-1988. Defendant no.1 has executed sale deed Ex.D2 in favour of defendant no.2.

Defendants have acquired title on the basis of continuous long possession. Sale deed Ex.P1 executed in favour plaintiff has not been proved as per requirement of sec.67 of Evidence Act. Suit is filed after 19 years from acquiring ownership by the defendant No. 1.

निणर्य लेखन (सिविल)

प्रश्न–3 **निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखकर साक्ष्य की विवेचना करते हुए निर्णय लिखिये :–** **40 अंक**

वादी के अभिवचन :– यह वाद हक की घोषणा, प्रतिवादियों के नाम पर हुए नामांतरण को रद्द करने, कब्जे के प्रत्युद्धरण और शाश्वत व्यादेश के लिये प्रस्तुत किया गया है। वाद

की विषय–वस्तु प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम से राजस्व अभिलेख में अभिलिखित कृषि भूमि सर्वेक्षण संख्या 38, क्षेत्रफल 3.2 हैक्टेयर, ग्राम पाटन है। वाद दिनाँक 08.03.2007 को प्रस्तुत किया गया है।

बलदेव सिंह वाद भूमि के मूल भूमि स्वामी थे । उसने यह भूमि वादी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनाँक 18.07.1972 माध्यम से ₹1,000/– के प्रतिफल हेतु विक्रय की थी और उसे कब्जा सौंप दिया था। इस विक्रय विलेख के आधार पर वादी का नाम सहायक भू– अभिलेख अधीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी 17/1973 में पारित आदेश दिनाँक 20.07.1973 के माध्यम से मूल स्वामी के स्थान पर अभिलिखित किया गया था। अब वह वाद भूमि का स्वामी व कब्जा धारक है।

सन् 1988 में नामांतरण पंजी 02/87–88 द्वारा, राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से, बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश और वादी को सूचना दिये बिना प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण वादी के स्थान पर किया गया था। तत्पश्चात् मई 1989 में राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम नामांतरित हुआ था। पूर्व के पटवारी, जिसने प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम अभिलिखित किया था, का स्थानांतरण होने के पश्चात् दिनाँक 09.10.1989 को जब उसने राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त कीं, तब वादी को इस नामांतरण और प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के हित में निष्पादित विक्रय विलेख दिनाँक 13.03.1989 की जानकारी हुई। उसने प्रतिवादियों के नाम नामातंरण को दिनांक 10.12.1989 को राजस्व न्यायालय में चुनौती दी।

प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो आदेश अतिरिक्त कमिश्नर के आदेश दिनाँक 07.11.2006 द्वारा अपास्त कर दिया गया है। वर्तमान में, राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण लंबित है।

अतिरिक्त कमिश्नर का आदेश उनके पक्ष में पारित होने के बाद दिनाँक 05.02.2007 को वादी को वादग्रस्त भूमि से बेकब्जा करने की धमकी दी। उन्होंने इस भूमि के 500 वर्गफीट क्षेत्रफल पर निर्माण सामग्री रख दी है। उनके द्वारा वाद– भूमि पर बांउड्रीवॉल निर्मित करने का प्रयत्न किया जा चुका है। संपत्ति का बाजार मूल्य ₹1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक है ।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन</u> :– प्रतिवादियों ने संयुक्त लिखित कथन फाईल कर वाद पत्र में वर्णित सभी तात्विक तथ्यों को प्रत्याख्यात किया है । उन्होंने बलदेव सिंह को वाद–भूमि का मूल स्वामी होना और दोनों पक्षों के मध्य राजस्व कार्यवाहियाँ चलना तथा संपत्ति का बाजार मूल्य ₹1,00,00,000/– (एक करोड़) से अधिक होना स्वीकार किया है ।

प्रतिवादियों ने अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादग्रस्त भूमि बलदेव सिंह से विक्रय विलेख दिनाँक 03.11.1970 के माध्यम से ₹99/– के प्रतिफल में क्रय की थी।

प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बलदेव सिंह से वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया था । उपरोक्त विक्रय विलेख और 20 साल के निरंतर कब्जे के आधार पर विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरांत सन् 1987–88 में उसका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित किया गया था ।

प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद भूमि को विक्रय विलेख दिनाँक 13.03.1989 द्वारा ₹1500/– प्रतिफल में प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 का प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्थान पर नामांतरण किया जा चुका है। अब प्रतिवादी क्रमांक 2 वाद–भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी है। वाद प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में नामांतरण आदेश होने के 19 वर्ष बाद फाईल किया है इसलिये यह परिसीमा द्वारा वर्जित है।

<u>वादी की साक्ष्य</u> :– वादी ने स्वयं को, वा0सा0–2 और वा0सा0–3 को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनाँक 18.07.1972 प्र0पी0–1 को साबित करने के लिये परीक्षित किया है। पटवारी वा0सा0–4 को वादी के पक्ष में हुये नामांतरण जो खसरा प्र0पी0–2, 3 व 4 (सन् 1972–87) में अभिलिखित है, को साबित करने के लिये परीक्षित किया है ।

<u>प्रतिवादी की साक्ष्य</u> :– प्रतिवादीगण ने स्वयं को प्रति0सा0–1 और प्रति0सा0–2 के रूप में परीक्षित कराया है, उन्होंने बलदेव सिंह द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत विक्रय विलेख दिनाँक 03.11.1970 प्र0डी0–1 और प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनाँक 13.03.1989 प्र0डी0–2, नामांतरण की कार्यवाही की प्रतिलिपि प्र0डी0–3 और 4, खसरा प्र0डी0–5 और 6 सन् 1988–89 के, जिनमें प्रतिवादी क्रमांक 1 व तत्पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम अभिलिखित हैं, प्रस्तुत किये हैं।

<u>तर्क वादी</u> :– बलदेव सिंह अपंजीकृत विक्रय विलेख प्र0पी0–1 और प्रतिवादी क्रमांक 1 के कब्जे को साबित करने के लिये न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अवैध विक्रय विलेख प्र0पी0–1 एवं प्र0पी0–2 के अनुसरण में प्रतिवादियों के पक्ष में किये गये नामांतरण से उनके पक्ष में स्वत्व उत्पन्न नहीं होगा।

बलदेव सिंह द्वारा वादी के हित में निष्पादित विक्रय विलेख प्र0पी0–1 रजिस्टर्ड दस्तावेज है, उसका नाम इस विक्रय विलेख के आधार पर लेख किया गया था, जो 1987–88 तक निरंतर रहा। वह स्वव्तधारी है। वाद परिसीमा के अंदर है।

<u>तर्क प्रतिवादी</u> :– वाद भूमि का मूल्य ₹100/– से कम था, इस कारण इसका अंतरण कब्जा प्रदान करने के द्वारा किया जा सकता था जिसके लिये पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। अपंजीकृत विक्रय विलेख प्र0डी0–1 ₹99/– के प्रतिफल में निष्पादित की गई थी, इसलिये यह वैध और सही दस्तावेज है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम इस विक्रय विलेख के आधार पर वर्ष 1987–1988 में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विक्रय विलेख प्र0डी0–2 प्रतिवादी क्रमांक 2 के हित में निष्पादित किया है।

प्रतिवादियों ने निरंतर लम्बे कब्जे के आधार पर हक प्राप्त कर लिया है। वादी के हित में निष्पादित विक्रय विलेख प्र0पी0–1 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 की अपेक्षाओं के अनुसार साबित नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा स्वत्व अर्जित करने के 19 वर्ष पश्चात् वाद फाईल किया गया है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge on the basis of the given facts and write a judgement with reasons on the basis of facts, evidence and arguments given hereunder, keeping in mind the relevant provisions of the concerned laws. - 40 Marks

Prosecution case :Deceased got married with accused no.1 on 22.03.2003. They have a two years old daughter. Parents of deceased had given ₹ 15,00,000/- and a Honda city car to accused at the time of marriage. After marriage, the deceased had been tortured and beaten by accused for not bringing sufficient dowry. Accused were pressurising her to bring ₹ 5,00,000/- more, due to this accused had strained relations with her and her family. Consequently she along with her daughter started living with her parents for last eight months before her death. On 17.06.2005, around 08:00 am, accused people visited the house of the parents of deceased and took her along with her daughter in Honda city car.

On 18.06.2005, around 08:00 am, H.K.Singh, the village kotvar, on receiving information regarding to lying of a corpes of an unknown lady near a culvert, village Unnao police station Unnao, reached on spot. He informed the police. Merg was registered on his information and spot map of the site were prepared. The corpes sent for postmortem, in which it is found that death of the deceased is caused by throttling death. The clothes and jewellery were seized from the corpes. Photographs of corpes were taken. The corpes was buried and first information report was lodged against unknown persons.

On 18.06.2005, around 11:00 am, accused no.1 informed Ramnarayan, the father of deceased, about her being missing. He disconnected the phone, without giving any detail, on which Ramnarayan went to house of

accused which was locked. He made complaint in nearby police station Ramnagar. From where, he got the information on 22.06.2005 of unknown corpes which was found at village Unnao. Thereupon, he approached police station Unnao on same day.

He identified the corpes as that of his daughter on the basis of Photographs her cloths and other belongings. The body of the deceased was exhumed and identified by Ramnarayan. It was handed over to him.

Ramnarayan suspected the accused, thereupon, search was made for accused people. On 26.6.2005, the accused no.1 was arrested from Sagar, railway station. On his information Honda City car is recovered from railway parking Sagar.

On 28.6.2005 the accused no.2 (Mother-in-law of deceased) is arrested from Harpalpur. Daughter of deceased was with her. Deceased's lady purse, ring and telephone diary were recovered at the instance of accused no.2, from her locked house. These articles were identified Smt. Usha (Mother of deceased). After completing the investigation police filed the charge sheet against the accused people in the court of judicial magistrate first class, from where case is committed to the court of session.

Defence Plea :- Accused are innocent. The deceased was residing with her parents, she went missing from there.

Evidence of prosecution:- Prosecution has produced the following material witnesses and documents:- Ramnarayan P.W.1, Smt. Usha P.W.2, Suruchi P.W.3 Ramprasad P.W.4, D.N. Sharma P.W.5, Dr.Verma P.W.6, the medical officer, H.K.Singh P.W.7, the kotvar, V.S.Tomar P.W.8, the tehsildar, P.N. Sharma P.W.9, the investigating officer R.K.Ahuja P.W.10 and Sushil Sharma P.W.11.

01. As per evidence of Ramnarayan P.W.1, Smt. Usha P.W.2 and Suruchi P.W.3 ₹ 15,00,000/- were given to accused at the time of the marriage. After the marriage, whenever deceased came to her parental home, she used to complain that accused were pressurizing on her to bring ₹ 5,00,000/- as dowry in addition. They were harassing her for not bringing sufficient dowry. Accused

used to beat her. Due to continuously harassment and demand for money by accussed, she had to leave the matrimonial home. She was living with then along-with her daughter since eight months before her death. Ramnarayan P.W.1 had to sell the plot and give money to the accused.

On 17.06.2005 around 7:30 am accused people came to their house and took back the deceased and her daughter in Honda City car after assuring that in future they will not make demand and will not harass the deceased.

On 18.6.2005 at about 12:30 p.m., accused no.1 informed Ramnarayan P.W.1 about missing of deceased without giving any detail, and disconnected the phone. He immediately went to the house of accused, which was locked. Ramprasad P.W.4 and P.N. Sharma P.W.5 testify that accused were missing since 17.06.2005.

On same day Ramnarayan P.W.1 made complaint Ex.P1 in the police station of Ramnagar, from where on 22.06.2005 he was informed about the recovered corpes at Unnao. He went to police station Unnao, where he identified deceased from deceased's her photographs Art.A-1to A-3 her clothes M.O.1 and M.O.2 and jewellery M.O.3. Smt.Usha P.W.2 identified lady purse M.O.4, ring finger M.O.5 and telephone diary M.O.6 of deceased.

02. Ramprasad P.W.4, the milk vendor, who used to supply the milk to accused and D.N. Sharma P.W.5, the neighbour of accused, have proved that house of accused was locked since 17.06.2005.

03. Dr.Verma P.W.6, the medical officer, who conducted postmortem of corpes of deceased, has testified about noticing two small abrasions on right lower jaw and two small abrasion on left side of neck of deceased. In his opinion cause of death is asphyxia due to throttling. Death is homicidal. Duration of death is within 24 hours since postmortem examination. Postmortem examination report is Ex.P5.

04. H.K. Singh P.W.7, the village kotvar, informed the police station Unnao about the dead body and got lodged merg Ex.P6.

05. V.S.Tomar P.W.8, the executive magistrate, got conducted identification proceedings. In his presence the dead body is buried and dug out from the ground vide panchnama Ex.P.7. Memo of identifications of dead body,

memo of identification of clothes and jewellery seized from dead body M.O.3 and lady purse M.O.4, ring finger M.O.5 and telephone diary M.O.6 of deceased are Ex.p2, Ex.p3 and Ex.p4 respectively.

06. Accused no.1 and 2 were arrested and interrogated by P.N. Sharma P.W.9, the investigating officer,in presence of R.K.Ahuja P.W.10 and Sushil Sharma P.W.11. R.K.Ahuja P.W.10 and Sushil Sharma P.W.11 are independent witnesses.

07. Accused no.1 is arrested on 26.6.2005 at about 10:00 am from railway station Sagar vide memo of arrest Ex.P.8 and his disclosure statement Ex.P.9 is recorded. On his information on same day Honda City car is recovered at railway parking Sagar vide memo of recovery Ex.P.10.

08. Accused no.2 is arrested on 28.06.2005 from Harpalpur, vide memo of arrest Ex.P.11 daughter of deceased was with her. She is interrogated and her disclosure statement Ex.P.12 is made. On her information lady purse M.O. 4, ring M.O. 5 and telephone diary M.O. 6 of deceased were recovered from her locked house vide memo of recovery Ex.P.13 .

Sr. No	**Document**	**Name of witness who has proved the documents.**
1.	Missing report Ex.P.1 registered at police station Ramnagar.	Ramnarayan P.W.1.
2.	Memo of identification Ex.P.2 of dead body.	Ramnarayan P.W.1 and V.S. Tomar P.W.8.
3.	Memo of identification Ex.P.3 of clothes and jewellery of deceased.	Ramnarayan P.W.1, Smt. Usha P.W.2 and V.S. Tomar P.W.8.
4.	Memo of identification Ex.P.4 of lady purse M.O. 4, ring M.O. 5 and telephone diary M.O. 6.	Smt. Usha pw2 and V.S. Tomar pw 8.
5.	Postmortem examination report Ex.P.5.	Dr.Verma P.W.6

6.	Merg registered at police station Unnao Ex.P.6.	H.K. Singh P.W.7 and P.N. Sharma P.W.9
7.	Panchnama proceeding of digging out body from ground Ex.P.7.	Hukum Singh P.W.6, V.S.Tomar P.W.8, P.N. Sharma P.W.9.
8.	Memo of arrest Ex.P.8, disclosure statement Ex.P.9 and memo of recovery Ex.P.10 of accused no.1.	P.N. Sharma P.W.9, R.K.Ahuja P.W.10 and Sushil Sharma P.W.11.
9.	Memo of arrest Ex.P.11, disclosure statement Ex.P.12 and memo of recovery Ex.P.13 of accused no.2	P.N. Sharma P.W.9, R.K.Ahuja P.W.10 and Sushil Sharma P.W.11.

09. Defence Evidence:- Kailashi D.W.1 and Manohar D.W.2 are domestic servants of accused. They have stated that deceased is ill and left house of accused in their presence.

R.S. Meena D.W.3, the station master, has proved the telegram Ex.D.1, stating that information regarding to arrest of accused at police station Jhasni, is received. However person who send this is not examined.

Arguments of prosecution:- Evidence of family members of deceased has been remained unchallenged in cross examination as to cruelty for demand of dowry. Accused could not give any explanation regarding the death of deceased who went with them. Accused could not give explanation regarding to recovery of Honda City car and two old years daughter of deceased from there possession and recovery of other belongings to deceased from locked house of accused, and their absconding.

Argument of accused:-The deceased was residing with her parents, she went missing from her parent's house. All the witnesses are related and interested witnesses.There are material variances in the statements of witnesses. Honda City car was recovered from place access to all. Deceased had lived with accused, therefore, recovery of deceased's belongings from her matrimonial home was natural. Minor daughter of deceased was with her parents. Mere silence or absconding of accused are not incriminating

circumstance against the accused.Chain of circumstances are not complete and have not been proven beyond reasonable doubt.

निणर्य लेखन (आपराधिक)

प्रश्न–4 दिये गये तथ्यों के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर संबंधित विधि के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सकारण निर्णय लिखिये – 40 अंक

अभियोजन का प्रकरण :– मृतिका का विवाह अभियुक्त क्र.1 से दिनाँक 22.03.2003 को हुआ था। उनकी एक दो वर्षीय पुत्री है। मृतिका के माता–पिता ने विवाह के समय ₹ 15,00,000/– और एक होण्डा सिटी कार अभियुक्तों को दी थी। विवाह के पश्चात् मृतिका को अभियुक्तों द्वारा पर्याप्त दहेज नहीं लाने के लिये प्रताड़ित किया गया था और उसकी पिटाई हुई थी। अभियुक्त उस पर ₹ 5,00,000/– अतिरिक्त लाने के लिये दबाव डाल रहे थे, जिस कारण उसके एवं उसके परिवार के अभियुक्तों से तनावपूर्ण संबंध थे, इसके परिणामस्वरूप मृत्यु के 8 माह पूर्व से मृतिका ने अपनी पुत्री के साथ अपने माता पिता के पास रहना चालू कर दिया। दिनाँक 17.06.2005 को प्रातः लगभग 8 बजे अभियुक्तगण मृतिका के माता पिता के घर आये तथा उसको होण्डा सिटी कार में उसे, उसकी पुत्री सहित ले गये।

दिनाँक 18.06.2005 को प्रातः 8:00 बजे ग्राम कोटवार एच0के0 सिंह को एक अज्ञात स्त्री का शव ग्राम उन्नाव, थाना उन्नाव की पुलिया के निकट पड़े होने की सूचना प्राप्त होने पर वह मौके पर पहुँचा। उसने पुलिस को सूचना दी। उसकी सूचना पर मर्ग पंजीकृत किया गया और घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। शव को परीक्षण हेतु भेजा गया जिसमें मृतिका की मृत्यु गला दबाने से होना पाई गई। शव से प्राप्त कपड़े एवं आभूषण जप्त किये गये। शव के फोटोग्राफ्स लिये गये। उसी दिन शव को दफन कर दिया गया और अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई।

दिनाँक 18.06.2005 को लगभग 11 बजे अभियुक्त क्रमांक 1 ने मृतिका के पिता रामनारायण को उसके गुम होने की सूचना दी। उसने कोई विस्तृत विवरण दिये बिना फोन काट दिया जिस पर रामनारायण अभियुक्त के घर पहुँचा जहाँ ताला लगा था। उसने निकट के पुलिस थाने रामनगर में शिकायत की। जहाँ से उसे अज्ञात शव, जो ग्राम उन्नाव में मिला था, के मिलने की सूचना दिनांक 22.06.2005 को प्राप्त हुई। उसके बाद उसने उसी दिन उन्नाव पुलिस थाने से सम्पर्क किया ।

उसने शव की पहचान उसकी पुत्री के रूप में फोटोग्राफ्स तथा उसके कपड़े व अन्य वस्तुओं के आधार पर की । मृतिका का शव निकाला गया जिसकी रामनारायण ने पहचान की । यह उसे सुपुर्द किया गया।

रामनारायण ने अभियुक्तों पर संदेह व्यक्त किया जिस पर अभियुक्तों की खोज की गई। दिनाँक 26.06.2005 को अभियुक्त क्रमांक 1 को सागर रेल्वे स्टेशन से

गिरफ्तार किया गया। उसकी जानकारी के आधार पर रेल्वे पार्किंग सागर से होण्डा सिटी कार बरामद की गई ।

दिनाँक 28.06.2005 को अभियुक्त क्रमांक 2 (मृतिका की सास) को हरपालपुर से गिरफ्तार किया गया। मृतिका की पुत्री उसके पास थी। मृतिका का लेडी पर्स, अंगूठी और टेलीफोन डायरी अभियुक्त क्रमांक 2 की निशानदेही पर उसके ताला बंद घर से बरामद की गई। इन वस्तुओं को श्रीमती ऊषा (मृतिका की माँ) द्वारा पहचाना गया था। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया वहाँ से प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :– अभियुक्तगण निर्दोष हैं । मृतिका उसके माता पिता के साथ रह रही थी, वह वहाँ से गुम हुई है ।

अभियोजन की साक्ष्य :– अभियोजन ने निम्नलिखित तात्विक साक्षीगण और दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है:– रामनारायण अ0सा0–1, श्रीमती ऊषा अ0सा0–2, सुरूचि अ0सा0–3, रामप्रसाद अ0सा0–4, डी0एन0 शर्मा अ0सा0–5, मेडिकल ऑफिसर डॉ0 वर्मा अ0सा0–6, कोटवार एच0के0 सिंह अ0सा0–7, तहसीलदार वी0एस0 तोमर अ0सा0–8, अन्वेषण अधिकारी पी0एन0 शर्मा अ0सा0–9, आर0के0 आहूजा अ0सा0–10 और सुशील शर्मा अ0सा0–11।

01– रामनारायण अ0सा0–1, श्रीमती ऊषा अ0सा0–2 एवं सुरूचि अ0सा0–3 की साक्ष्य के अनुसार विवाह के समय ₹ 15,00,000/– अभियुक्तों को दिये गये थे । विवाह के पश्चात् जब भी मृतिका अपने मायके आती तब वह अभियुक्तों द्वारा उस पर अतिरिक्त ₹ 5,00,000/– दहेज लाने का दबाव डाले जाने के संबंध में शिकायत करती थी। वे उसे पर्याप्त दहेज नहीं लाने के लिये प्रताड़ित कर रहे थे । अभियुक्त उसकी पिटाई करते थे । अभियुक्तों द्वारा निरंतर प्रताड़ित किये जाने और धन की मांग किये जाने के कारण उसे ससुराल छोड़ना पड़ा । वह उसकी पुत्री सहित मृत्यु के 8 महीने पूर्व से उनके साथ रह रही थी । रामनारायण अ0सा0–1 को प्लॉट बेचकर अभियुक्तों को धन देना पड़ा था।

दिनाँक 17.06.2005 को प्रातः 7:30 बजे अभियुक्त उनके घर पर आये और यह आश्वासन देकर कि भविष्य में उनके द्वारा मांग नहीं की जायेगी और वे मृतिका को प्रताड़ित नहीं करेंगे, होण्डा सिटी कार में मृतिका एवं उसकी पुत्री को ले गये ।

दिनाँक 18.06.2005 को दोपहर 12:30 बजे अभियुक्त क्रमांक 1 ने रामनारायण अ0सा0–1 को अन्य कोई जानकारी दिये बिना मृतिका के गुम होने की सूचना दी तथा फोन काट दिया । वह तुरंत अभियुक्तों के घर पहुँचा जहाँ ताला लगा था । रामप्रसाद अ0सा0–4 और डी0एन0 शर्मा अ0सा0–5 ने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त दिनाँक 17.06.2005 से गायब थे।

उसी दिन रामनारायण ने शिकायत प्र0पी0–1 पुलिस थाना रामनगर में दर्ज कराई जहाँ से उसे दिनाँक 22.06.2005 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्नाव में शव बरामद हुआ था। वह पुलिस थाना उन्नाव गया जहाँ पर मृतिका की फोटोग्राफ्स आर्टिकल ए–1 से ए–3, उसके कपड़े एम0ओ0–1 और एम0ओ0–2 और जेवरात एम0ओ0–3 के आधार पर मृतिका की पहचान की। श्रीमती ऊषा अ0सा0–2 ने मृतिका के लेडी पर्स एम0ओ0–4, अंगूठी एम0ओ0–5 और टेलीफोन डायरी एम0ओ0–6 की पहचान की।

02– दूध विक्रेता रामप्रसाद अ0सा0–4जो अभियुक्तों को दूध प्रदान करता था और अभियुक्तों के पड़ोसी डी0एन0 शर्मा अ0सा0–5 ने अभियुक्तों के घर पर दिनाँक 17.06. 2005 से ताला लगा होना प्रमाणित किया।

03– मेडिकल ऑफिसर डॉ0 वर्मा अ0सा0–6 जिसने मृतिका के शव का परीक्षण किया था, ने अपने अभिसाक्ष्य में, मृतिका को दो छोटी खरोंच दाहिने निचले जबड़े पर और दो छोटी खरोंच गर्दन के बांई ओर पाया जाना बताया है। उसके अभिमत के अनुसार मृत्यु का कारण गला दबाने के कारण श्वासावरोध होना था। मृत्यु मानावघाती प्रकृति की है। मृत्यु का समय शव परीक्षण से 24 घण्टे के अंदर का था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0–5 है।

04– ग्राम कोटवार एच0के0 सिंह अ0सा0–7 ने पुलिस थाना उन्नाव को शव की सूचना दी थी और मर्ग प्र0पी0–6 रजिस्टर्ड कराया था ।

05– कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वी0एस0 तोमर अ0सा0–8 ने पहचान कार्यवाही करावाई थी। उसकी उपस्थिति में शव को दफन किया गया था तथा पंचनामा प्र0पी0–7 द्वारा जमीन से निकाला गया था। शव शिनाख्तगी मेमो, कपड़े और आभूषण जो शव से बरामद किये गये थे का शिनाख्तगी मेमो एम.ओ.–3 और मृतिका के लेडी पर्स एम0ओ0 4, अंगूठी एम0ओ0 5 और टेलीफोन डायरी एम0ओ0–6 क्रमशः प्र0पी0–2, प्र0पी0–3 और प्र0पी0–4 है ।

06– अभियुक्त क्रमांक 1 और 2 की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ अन्वेषण अधिकारी पी0एन0 शर्मा अ0सा0–9 ने आर0के0 आहूजा अ0सा0–10 और सुशील शर्मा अ0सा0–11 की उपस्थिति में की थी। आर0के0 आहूजा अ0सा0–10 और सुशील शर्मा अ0सा0–11 स्वतंत्र साक्षी हैं ।

07– अभियुक्त क्रमांक 1 दिनाँक 26.06.2005 को प्रातः लगभग 10:00 बजे गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–8 द्वारा रेल्वे स्टेशन सागर से गिरफ्तार किया गया था और उसका प्रकटीकरण कथन प्र0पी0–9 अभिलिखित किया गया। उसी दिन उसकी जानकारी पर होण्डा सिटी कार जप्ती पत्रक प्र0पी0–10 द्वारा रेल्वे पार्किंग सागर से जप्त की गई थी।

08– अभियुक्त क्रमांक 2 को दिनाँक 28.06.2005 को हरपालपुर से गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–11 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। मृतिका की पुत्री उसके पास में थी।

उससे पूछताछ की गई तथा उसका प्रकटीकरण कथन प्र0पी0–12 बनाया गया। उसकी जानकारी के आधार पर उसके ताला बंद घर से लेडी पर्स एम0ओ0–4, अंगूठी एम0ओ0–5 और टेलीफोन डायरी एम0ओ0–6 बरामदगी पत्रक प्र0पी0–13 द्वारा बरामद की गई थी।

क्र0 सं0	दस्तावेज	साक्षी जिनके द्वारा दस्तावेज साबित किये गये।
1	थाना रामनगर में दर्ज गुमशुदा रिपोर्ट प्र0पी0–1	रामनारायण अ0सा0–1
2	शव शिनाख्तगी मेमो प्र0पी0–2	रामनारायण अ0सा0–1 और वी0एस0 तोमर अ0सा0–8
3	शिनाख्तगी मेमो प्र0पी0–3, मृतिका के कपड़े और आभूषण	रामनारायण अ0सा0–1, श्रीमती ऊषा अ0सा0–2 और वी0एस0 तोमर अ0सा0–8
4	शिनाख्तगी मेमो प्र0पी0–4, लेडी पर्स एम0ओ0–4, अंगूठी एम0ओ0–5, टेलीफोन डायरी एम0ओ0–6	श्रीमती ऊषा अ0सा0–2 और वी0एस0 तोमर अ0सा0–8
5	शव परीक्षण रिपोर्ट	डॉ0 वर्मा अ0सा0–6
6	थाना उन्नाव में दर्ज मर्ग प्र0पी0–6	एच0के0 सिंह अ0सा0–7 और पी0एन0 शर्मा अ0सा0–9
7	शव जमीन से निकालने की कार्यवाही पंचनामा प्र0पी0–7	एच0के0 सिंह अ0सा0–7 वी0एस0 तोमर अ0सा0–8 और पी0एन0 शर्मा अ0सा0–9
8	अभियुक्त क्रमांक 1 का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–8, प्रकटीकरण कथन प्र0पी0–9 और बरामदगी पत्रक प्र0पी0–10	पी0एन0 शर्मा अ0सा0–9, आर0के0 आहूजा अ0सा0–10 और सुशील शर्मा अ0सा0–11
9	अभियुक्त क्रमांक 2 का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–11, प्रकटीकरण कथन प्र0पी0–12 और बरामदगी पत्रक प्र0पी0–13	पी0एन0 शर्मा अ0सा0–9, आर0के0 आहूजा अ0सा0–10 और सुशील शर्मा अ0सा0–11

09 **बचाव साक्ष्य** :– कैलाशी ब0सा0–1 और मनोहर ब0सा0–2 अभियुक्तगण के घरेलू नौकर हैं। उनके द्वारा यह बताया गया कि मृतिका बीमार थी और वह उनके सामने घर से चली गई थी।

स्टेशन मास्टर आर0एस0 मीना ब0सा0–3 ने टेलीग्राम प्र0डी0–1 को साबित करते हुये यह बताया है कि अभियुक्त का झाँसी पुलिस स्टेशन पर गिरफ्तारी होने की सूचना दी गई थी, परंतु जिस व्यक्ति ने इसे भेजा, उसको परीक्षण नहीं कराया गया था।

अभियोजन के तर्क– दहेज की मॉग के लिये क्रूरता के संबंध में मृतिका के परिवार के सदस्यों की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में चुनौती रहित है। अभियुक्तों ने मृतिका की मृत्यु जो उनके साथ गई थी, के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अभियुक्तों ने उनके कब्जे से होण्डा सिटी कार, मृतिका की दो वर्षीय पुत्री की बरामदगी और मृतिका की अन्य वस्तुओं की अभियुक्तों के ताला बंद घर से बरामदगी और उनके फरार होने के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया है ।

बचाव पक्ष के तर्क :– मृतिका उसके माता पिता के साथ रह रही थी । वह उसके माता पिता के घर से गुम हुई थी। सभी साक्षी हितबद्ध और रिश्तेदार साक्षी हैं । साक्षियों के कथन में गंभीर विरोधाभास है। होण्डा सिटी कार सभी की पहुॅच के स्थान से बरामद हुई थी। मृतिका अभियुक्तों के साथ रहती थी इस कारण उससे उसकी वस्तुओं की ससुराल के घर से बरामद होना स्वाभाविक है। मृतिका की अवयस्क पुत्री उसके माता–पिता के पास थी। अभियुक्तों का शांत रहना अथवा फरार रहना उन्हें फॅसाने वाली परिस्थिति नहीं है। परिस्थितियों की श्रृखंला पूर्ण नहीं हुई है और युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं की गई है।

****